



प्रेसनोट / सराहनीय कार्य

(पत्रांक-121/2021 दिनांक 01.05.2021)

दिनांक- 01.05.2021 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य

अवैध शराब बिक्री, परिवहन व निष्कर्षण के विरुद्ध चलाया गया अभियान-(कुल -01)

थाना तरयासुजान-

थाना तरयासुजान पुलिस टीम द्वारा भुलिया अगरवा रेलवे क्रासिंग के पास से एक अभियुक्त अजय लाल मध्देशिया पुत्र राज मंगल मध्देशिया निवासी भुलिया अगरवा थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 225 शीशी बंटी बबली देशी शराब कुल 45 ली0 बरामद किया गया है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 153/21 धारा 60 आबकारी अधि0 में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अजय लाल मध्देशिया पुत्र राज मंगल मध्देशिया निवासी भुलिया अगरवा थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- उ0नि0 रणजीत सिंह बघेल थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- का0 राहुल कुमार पाण्डेय थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- का0 अर्जुन खरवार थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 16 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में =

1. मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान- 80 वाहन।
2. आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही मु0-01, अभि0-01, बरामदगी- 225 शीशी बंटी बबली देशी शराब।
3. जनपद में कुल गिरफ्तारी -(कुल-17)

मीडिया सेल
जनपद कुशीनगर